ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत कोहाल में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पुन्नी देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री लेख राज	01-04-2022 से 31-03-2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार

से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाता है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय हानि बारे।	2.44
02.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि	0.98
03.	8.4	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	0.38
04.	8.5	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	39.50
05.	9.1	मनरेगा अनुदान के व्यय/भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	21.94
06.	9.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	2.38
07.	9.3	क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे	2.38

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-04-2024 से 27-04-2024 तक ग्राम पंचायत कोहाल के कार्यालय में किया गया।

वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2022-2023	01/2023	07/2022
2.	2023-2024	02/2024	02/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6400/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/11 दिनांक 27-04-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कोहाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत कोहाल के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्वः-स्त्रोत/(3RD/5TH State FC)

वित्तीय वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2022-23	187430.81	397279.00	584709.81	331595.00	253114.81

2023-24	253114.81	225344.00	478458.81	451638.00	26820.81

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1255395.88	8241156.00	9496551.88	8886077.80	610474.08
2023-24	610474.08	10298916.00	10909390.08	10349518.80	559871.28

नोट: उपरोक्त स्वः-स्त्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्वः-स्त्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹26820.81 ₹559871.28 ₹586692.09

(ब) ग्राम पचांयत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	17710113176	HPSCB Bhanjraru	354810.90
2.	14वां वित्तायोग	17710110702	HPSCB Bhanjraru	1.00
3.	RGSA	17710112144	HPSCB Bhanjraru	63086.00
4.	SABHA NIDHI /3rd/5TH State /VKVNY/SDP/SBM	17710103113	HPSCB Bhanjraru	324532.19
			Cash in hand	00
			TOTAL	**₹742430.09**

अन्तर (ब-अ) ₹586692.09 - ₹742430.09 = ₹155738

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.56 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोहाल द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹155738 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹6.06 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है, तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल लेखों में निम्न विवरणानुसार राशि ₹606644.40 का अन्तर पाया गया।

31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष	
31-03-2024 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	**₹11,93,336.49**
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	(-)₹**5,86,692.09**
अन्तर	**₹6,06,644.40**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹5.60 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹559871.28 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि भविष्य में प्राप्त

अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.18 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत कोहाल के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्नलिखित ₹18375 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वितीय वर्ष	**अथशेष**	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर प्रति /परिवार**	**वर्ष के दौरान माँग (₹)**	**कुल योग (₹)**	**वर्ष के दौरान वसूली (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2022-23	36575	356	50	17800	54375	54000	375
2023-24	375	360	50	18000	18375	0	18375

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 26-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने के उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4075/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL/Rate		राशि (₹)	BPL/Rate		राशि (₹)	कुल राशि (₹) सामान्य व BPL
		Without late fee	With Late Fee		Without late fee	With Late Fee		
2022-23	14	8@200	-	1600	6@25	-	150	1750
2023-24	15	9@200	01@400	2200	5@25	-	125	2325
कुल योग	**29**	**17@200**	**01@400**	**3800**	**11@25**	**-**	**275**	**4075**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 26-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत कोहाल के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹2.44 लाख के राजस्व की भारी वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चम्बा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खंड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही

है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹243768.90/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनांक 24-04-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही M फॉर्म लिए गए हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.98 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कोहाल के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹2062428/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹98211 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 24-04-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्त्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज,रसीद, कैश मेमों व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यदापि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.38 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**प्राप्ति शीर्ष**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा दंडात्मक ब्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत कोहाल के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणनुसार राशि ₹1919750/- का भुगतान किया

गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर (TDS) की कटौती नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹38395/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

क्रम/ अनुदान	वाउचर / वर्ष	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशि (₹)	TDS @ 2% (₹)
1. MGREGA	Nil/ 15-07-22	Carrige of Stone	Sh. Muhru s/o Sh. Bhagat PO Kohal, Chamba	486400	9728
2. MGREGA	Nil/ 15-07-22	Carrige of Stone	Sh. Duni Chand s/o Sh. Purkha Ram PO Kohal,Chamba	360800	7216
3. MGREGA	Nil/ 29-02-24	Carrige of Stone	Sh. Muhru s/o Sh. Bhagat PO Kohal Chamba	982550	19651
4. MGREGA	Nil/ 29-02-24	Carrige of Stone	Sh. Bittu Ram s/o Sh. Ramu PO Kohal Chamba	90000	1800
		कुल योग		**₹1919750**	**₹38395**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 25-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करने एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में नियमित तौर पर कटौती की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के

ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करके तथा कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹39.50 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत कोहाल की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्नविवरणनुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, प्रापत्र-34 उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि (₹)**	**टिप्पणी**
th FC1.15	कार्य: गंदा जल निकास नाली बनेटू	150000	MB, Estimate Work Order and Technical sanction order
th FC2.15	कार्य : पक्का पाथ पंचायत घर	100000	do
3.MPLAD & MGREGA	कार्य: सामुदायिक भवन बेहलाम	500000	MB,UC,Estimate Work Order and Technical sanction order .etc

4.MGREGA + th FC14	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क एंड स्टोन सोइलिंग मेन रोड से गाँव धलेई-1	500000	do
5. MGREGA	कार्य : प्रोटेक्शन वर्क एंड स्टोन सोइलिंग मेन रोड से गाँव धलेई-2	500000	do
6. MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क एंड स्टोन सोइलिंग गाँव धलेई से लियुंटी	500000	do
7.MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क एंड स्टोन सोइलिंग मेन रोड से गाँव किलुणी	500000	do
8.MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क बनेटू	300000	do
9. MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क लेणुई	300000	do
10. MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क किल्वहाली-2	300000	do
11. MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क मेहलूण्णी	300000	do
	कुल योग	**₹3950000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 25-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायक के अवकाश पर होने के कारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 राशि ₹21.94 लाख के स्टोर/स्टॉक के व्यय भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत कोहाल के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि **₹**2193964 का भुगतान स्टोर/स्टॉक के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह पंचायती राज अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे

1. पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकृत विक्रेता GST/TIN पंजीकृत नहीं हैं एवं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मेमों, परफोर्मा बिल इत्यादि के प्रारूप में ही दिए गए हैं इस पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/ TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है यह बिल सादे कागज पर अभिस्वीकृति सहित भुगतान हेतु दिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

2. पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के एवज में आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों को किये गए भुगतानों के FTOs (Fund transfer order) एवं अन्य अनुदानों के RTGS/PFMS इत्यादि की प्रतिलिपि वाउचर फाइल में संलग्न नहीं की गई थी एवं न ही उक्त विवरण अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गये जिससे कि यह सुनिश्चित/सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए वास्तव में उन्ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है अथवा नहीं ?

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 24-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त क्रमांक 1 के प्रत्युत्तर में कहा कि मनरेगा भुगतानों के FTOs व अन्य अनुदानों के PFMS,RTGS इत्यादि का विवरण अभी भी पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते एवं क्रमांक 1 के प्रत्युत्तर में कहा कि अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के

आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए किये गए उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹2.38 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कोहाल द्वारा राशि ₹237518/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "3" में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 24-04-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे एवं राशि ₹2.38 लाख के क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है। पंचायत के नमूना अंकेक्षण में निम्नवर्णित अनियमितातायें पाई गई :-

1. ग्राम पंचायत कोहाल के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹237518/- का सामान क्रय किया गया। परन्तु उसकी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है। जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है अपितु स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में उक्त क्रय किये गए सामान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इसके दुर्विंयोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

2. ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विन्योजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु समय-समय पर क्रय स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न किया जाने एवं अन्य विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा मटेरियल रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर (Online Material Register) के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹5355980 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 05-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कोहाल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन न करके मैन्युअल ही किया जा रहा है एवं मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transactions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। पंचायत द्वारा न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों एवं मनरेगा रोकड़बही को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका,

वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची से लिया गए हैं। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत कोहाल के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं

9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -06 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोहाल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 24-04-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 12.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति
3403 – 3407 12 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 150/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 JUL 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 12.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Kohal for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	187430.81	397279.00	584709.81	331595.00	253114.81
2023-24	253114.81	225344.00	478458.81	451638.00	26820.81

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1255395.88	8241156.00	9496551.88	8886077.80	610474.08
2023-24	610474.08	10298916.00	10909390.08	10349518.80	559871.28

586692.09

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खंड तीसा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत चार रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (26820.81+~~586692.28~~ 559871.28)

C/B as per Cash Books 586692.09
C/B as per Bank Passbook 742430.09

Difference (Less in Cash Book -155738

सचिव
ग्रा०पं० कोहाल
विकास खण्ड तीसा

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Kohal Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	SBM/SDP	MGREGA	MPLAD/ VKVNY	RGSA	14TH FC	15FC	Total
April	9975.00	67200.00		216453.00	99000.00	878.00	1083.00	13997.00	408586.00
May	659.00			625940.00					626599.00
June				154956.00	100000.00			99523.00	354479.00
July		78600.00		1440783.00					1519383.00
August	2310.00			215992.00				149293.00	367595.00
September	6973.00			861490.00		897.00	23.00	13979.00	883362.00
October	4160.00	27840.00						149283.00	181283.00
November	100.00	78600.00							78700.00
December	100.00	4389.00		1254488.00				151998.00	1410975.00
January	57773.00	52400.00	171887.00	1270975.00					1553035.00
February				108538.00					108538.00
March		6200.00		886369.00				253331.00	1145900.00
Total	82050.00	315229.00	171887.00	7035984.00	199000.00	1775.00	1106.00	831404.00	8638435.00

Expenditure Statement of GP Kohal Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	SDP/SBM	MGREGA	MPLAD/ VKVNY	RGSA	14TH FC	15TH FC	TOTAL
April	2360.00	17600.00		216453.00			19632.00		256045.00
May	609.00	21300.00		625940.00					647849.00
June				154956.00	177924.00			17.70	332897.70
July	19297.00	10700.00		1440783.00	98000.00			249848.00	1818628.00
August	9000.00			215992.00					224992.00
September	12250.00	34300.00	59814.00	861490.00				436815.70	1404669.70
October								245300.00	245300.00
November									
December		19980.00		1254488.00				17.70	1274485.70
January				1270975.00					1270975.00
February	7960.00	156789.00	71887.00	108538.00				458351.00	803525.00
March	550.00	18900.00	32469.00	886369.00				17.70	938305.70
Total	52026.00	279569.00	164170.00	7035984.00	275924.00		19632.00	1390367.80	9217672.80

सचिव
ग्रा०पं० कोहाल
विकास खण्ड तीसा

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Kohal Development Block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the Year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th SFC	SDP/SBM	MNREGA	MPLAD/ VKVNY	RGSA	15FC	14TH FC	Others	TOTAL
April	6405.00			85123.00		845.00	6044.00	15.00		98432.00
May				390312.00						390312.00
June	3300.00	80000.00		1024335.00		428.00	2118.00	1.00		1110182.00
July			75000.00	869682.00						944682.00
August	3300.00	102184.00		964499.00	49899.00					1119882.00
September				603671.00						603671.00
October	3988.00					436.00	1940.00			6364.00
November	150.00			72080.00			102256.00			174486.00
December	3546.00			476189.00		439.00	2103.00			482277.00
January	10767.00			1661395.00						1672162.00
February	11404.00		174652.00	2270003.00					25000.00	2481059.00
March	300.00		67500.00	1372514.00		437.00				1440751.00
TOTAL	43160.00	182184.00	317152.00	9789803.00	49899.00	2585.00	114461.00	16.00	25000.00	10524260.00

Expenditure Statement of GP Kohal Development Block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the Year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	SDP/SBM	MGREGA	MPLAD/ VKVNY	RGSA	15TH FC	14TH FC	Others	TOTAL
April		24000.00	177410.00	85123.00			42700.00	1121.00		330354.00
May	10735.00	8200.00		390312.00						409247.00
June		18300.00		1024335.00			17.70			1042652.70
July				869682.00						869682.00
August		78300.00	28536.00	964499.00			48100.00			1119435.00
September				603671.00			17.70			603688.70
October	2497.00	30600.00	18145.00							51242.00
November	28670.00	29000.00		72080.00	41899.00					171649.00
December	2625.00	38583.00		476189.00			17.70			517414.70
January	13802.00	26880.00		1661395.00						1702077.00
February	1413.00			2270003.00						2271416.00
March	350.00	137683.00	201734.00	1372514.00			17.70			1712298.70
TOTAL	60092.00	391546.00	425825.00	9789803.00	41899.00		90870.80	1121.00		10801156.80

सचिव
ग्राम पंचायत कोहाल
विकास खण्ड तीसा

(22)

25

कार्यालय ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2022 to 31-03-2024 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	17710113176	HPSCB Bhanjraru	354810.90
2.	14वां वित्तायोग	17710110702	HPSCB Bhanjraru	1.00
3.	RGSA	17710112144	HPSCB Bhanjraru	63086.00
4.	SABHA NIDHI /3rd/5TH State /VKVNY/SDP/SBM	17710103113	HPSCB Bhanjraru	324532.19
			Cash in hand	00
			TOTAL	742430.09

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कोहाल, में दिंनाक 31-03-2024 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 04 तक वर्णित बैंक खाते ही खोले गए हैं इसके अतिरिक्त कोई भी खाता पंचायत ने नहीं खुलवाया है।

सचिव
ग्रा०पं० कोहाल
विकास खण्ड तीसा

परिशिष्ट "2" पेरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Kohal for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	7035984.00	7035984.00	7035984.00	0.00
		2023-24	0.00	9789803.00	9789803.00	9789803.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	935684.50	831404.00	1767088.50	1390367.80	376720.70
		2023-24	376720.70	114461.00	491181.70	90870.80	400310.90
3	14TH FC	2022-23	19632.00	1106.00	20738.00	19632.00	1106.00
		2023-24	1106.00	16.00	1122.00	1121.00	1.00
4	RGSA	2022-23	58726.00	1775.00	60501.00	0.00	60501.00
		2023-24	60501.00	2585.00	63086.00	0.00	63086.00
5	VKVNY/SDP/SBM/ MPLAD etc.	2022-23	241353.38	370887.00	612240.38	440094.00	172146.38
		2023-24	172146.38	392051.00	564197.38	467724.00	96473.38

सचिव
ग्रा०पं० कोहल
विकास खण्ड सीसा

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा ,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 14-09-22	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	12250	Quotations
2.SF	11/ 26-07-22	Stone	50m3@1800	M/S Ashok Kumar PO Kohal , Chamba	90000	Tender
3. MPLAD	09/ 26-07-22	Bricks	8000No.@10	M/S Gopal Traders PO Pukhri, Chamba	80000	Quotations
4 .MPLAD	30/ 26-07-22	CGI Sheet angle welding Road etc.	-	M/S Gopal Traders PO Pukhri, Chamba	42268	Quotations
5.SF	19/ 09-11-23	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	13000	Quotations
				Total	237518	

सचिव
कार्यालय
विकास खण्ड तीसा

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 से 8.4 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP KOHAL D.B TISSA FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND Non

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Date DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST Amount Paid	TDS @2%
Year 2022-23												
1	M/S Suresh kumar S/o Sh. Madho Ram	MGREGA	Nil/15-07-2022	Sand	92.04	147.264	60	8835.8	92070.0	87685.7	4384.3	
2	M/S Muhru S/o Bhagat PO Kohal	MGREGA	Nil/15-07-2022	Carriage & Collection of stone	511	1144.64	60	68678.4	486400.0	463238.1	23161.9	
3	M/S Thakur singh s/o muttu po kohal	MGREGA	Nil/15-07-2022	Aggrigate	66.07	128.1758	60	7690.5	95653.0	91098.1	4554.9	9728
4	M/S Duni chand s/o purkha ram po kohal	MGREGA	Nil/15-07-2022	Carrriage & Collection of stone	451	1010.24	60	60614.4	360800.0	343619.0	17181.0	
Year 2023-24							80	0.0		0.0	0.0	7216
1	M/S Muhru S/o Bhagat PO Kohal	MGREGA	Nil/29-02-2024	Carriage & Collection of stone	447	1001.28	80	80102.4	982550.0	935761.9	46788.1	
2	M/S Bhinder kumar s/o Sobhia ram po dughli	MGREGA	Nil/29-02-2024	Aggrigate	68.81	133.4914	80	10679.3	44955.0	42814.3	2140.7	19651
3	M/S Bittu Ram s/o Ramu PO Kohal	MGREGA	Nil/ 29-02-2024	Carriage & Collection of stone	40	89.6	80	7168.0	90000.0	85714.3	4285.7	
	Total			TOTAL			Total	243768.9	2062428.0	1964217.1	98210.9	1800 38395

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq Ft = 1 Cubic Meter (M³) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 B. From Cubic Meter (M³) to Tonne

One Cubic Meter (M³) Sand	1.6[illegible]
One Cubic Meter (M³) Aggregate	1.52
One Cubic Meter (M³) Stone	2.24

4 All items Sand, Stone & Aggregate average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne

5 As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

सचिव
ग्रा० पं० कोहाल
विकास खण्ड तीसा

परिशिष्ट – "5"

ग्राम पंचायत कोहाल, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या [redacted] व 9.3 में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Detail of Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 14-09-22	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	12250	Stock Entry
2.SF	11/ 26-07-22	Stone	50m3@1800	M/S Ashok Kumar PO Kohal , Chamba	90000	Stock Entry
3. MPLAD	09/ 26-07-22	Bricks	8000No.@10	M/S Gopal Traders PO Pukhri, Chamba	80000	Stock Entry
4 .MPLAD	30/ 26-07-22	CGI Sheet angle welding Road etc.	-	M/S Gopal Traders PO Pukhri, Chamba	42268	Stock Entry
5.SF	19/ 09-11-23	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	13000	Stock Entry
				Total	237518	

सचिव
ग्रा०पं०
विकास खण्ड तीसा

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 9.1 से सम्बन्धित

Statement Showing Detail of payment (in R/O GP Kohal DB Tissa) To Vender/Supplier without Tax Invoice or Proper Bill Payment made Only on Plain paper/Cash Memo or Performa Bill

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO	Detail of Supplier/Vender	Head/Grant	VOUCHER/INVOICE NO./DATE	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	M/S Him Broadcast Pvt. Ltd. Kangra	MGREGA	Nil/ 29-02-2024	Sign board	41536.00
2	M/S Suresh kumar S/o Sh. Madho Ram	MGREGA	Nil/15-07-2022	Sand	92070.00
3	M/S Muhru S/o Bhagat PO Kohal	MGREGA	Nil/15-07-2022	Carriage & Collection of stone	486400.00
4	M/S Thakur singh s/o muttu po kohal	MGREGA	Nil/15-07-2022	Aggrigate	95653.00
5	M/S Duni Chand s/o Purkha ram PO Kohal Chamba	MGREGA	Nil/15-07-2022	Carrriage & Collection of stone	360800.00
6	M/S Muhru S/o Bhagat PO Kohal	MGREGA	Nil/29-02-2024	Carriage & Collection of stone	982550.00
7	M/S Bhinder kumar s/o Sobhia ram po dughli Chamba	MGREGA	Nil/29-02-2024	Aggrigate	44955.00
8	M/S Bittu Ram s/o Ramu PO Kohal	MGREGA	Nil/ 29-02-2024	Carriage & Collection of stone	90000.00
				TOTAL	2193964.00

सचिव (signature)
ग्रा०पं० कोहाल
विकास खण्ड तीसा